



## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019, परीक्षा दिनांक 19.09.2021 (रविवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.-8656/11/2021/अनु.-10

इंदौर, दिनांक:-31-12-2021

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्र.-04/2019/14.11.2019, ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि-09.12.2019, (1) शुद्धि पत्र क्र.-01/03-04/2019 दिनांक 18.11.2019 (परीक्षा शुल्क के संबंध में), (2) शुद्धि पत्र क्रमांक-04/03-04/2019 दिनांक 09.12.2019 (अधिकतम आयु सीमा एवं ऑनलाईन आवेदन अवधि में वृद्धि की सूचना के संबंध में), के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के कुल-06 पदों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019, परीक्षा दिनांक 19.09.2021 (रविवार) केवल इंदौर जिला मुख्यालय स्थित कुल-01 केंद्र पर प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण दोपहर 02:00 से 04:00 बजे तक दो सत्रों में आयोजित की गई थी।

02/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की श्रेणीवार संख्या अनुसार साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणी	कुल विज्ञापित पद	03 गुना+समान अंक
अनारक्षित (UR)	02	06
अनुसूचित जाति (SC)	01	03
अनुसूचित जनजाति (ST)	01	03
अन्य पिछडा वर्ग (OBC)	01	03
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	01	03
कुल	06	18


03/ राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

अविरत .....

**MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION**  
**STATE FOREST SERVICE MAIN EXAMINATION 2019**  
**ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL)**

---

S.NO.	ROLLNO
1.	100004
2.	100009
3.	100013
4.	100015
5.	100016
6.	100017
7.	100018
8.	100019
9.	100023
10.	100027
11.	100032
12.	100042
13.	100045
14.	100062
15.	100063
16.	100067
17.	100076
18.	100078



अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश :-

01	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।
02	अनुप्रमाणन-फॉर्म (03 मूल प्रतिओं में)।
03	व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (01 मूल प्रति व छायाप्रति)।
04	हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंकसूची।
05	स्नातक प्रत्येक वर्ष की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।
06	मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति (प्रमाण पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख आवश्यक हैं)।
07	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र, विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, जारी करने का एवं प्रकरण क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक हैं)
08	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न हुआ हो तो विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे।
09	भूतपूर्व सैनिक होने के स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
10	अन्य कोई प्रमाण पत्र (यदि हो जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख हो की छायाप्रति।)

04/ उपरोक्तानुसार क्रम में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर दिनांक 31.01.2022 तक आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।

**महत्वपूर्ण टीप :-**

01. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है। यदि आवेदक राज्य वन सेवा परीक्षा-2019 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
02. राज्य सेवा वन मुख्य परीक्षा-2019 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर जारी कर दी जाएगी।
03. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
04. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।



05. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com), [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
06. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई भी तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
07. आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त शर्तों को पूरा करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या शारीरिक क्षमता परीक्षण/ साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया हैं। वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
08. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक WP-25181/2019, WP-542/2021 तथा संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
09. आवेदकों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने अभिलेख दिनांक 31.01.2022 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करे :-

प्रति,


सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेंसी एरिया,

इंदौर (म.प्र.)-452001

लिफाफे पर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

  
31/12/21  
उप-परीक्षा नियंत्रक